

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि (माह नवम्बर 2024 से मार्च 2025 तक) के लिए जनपद न्यायालय, श्रावस्ती परिसर में कैण्टीन के सम्बन्ध में खुली बोली के द्वारा सार्वजनिक नीलामी दिनांक 29.10.2024 को सायंकाल 4.00 बजे जनपद न्यायालय, श्रावस्ती के केन्द्रीय सभागार में नीलामी समिति के अध्यक्ष श्री अमित प्रजापति अपर सत्र न्यायाधीश/श्रावस्ती की अध्यक्षता में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

जिला न्यायालय परिसर कैण्टीन की नीलामी की शर्तों का विवरण इस प्रकार है-

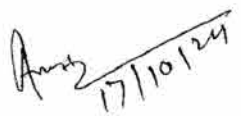
क्रम सं०	स्थल	धरोहर धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 के माह नवम्बर 2024 से मार्च 2025 हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि
1	कैण्टीन भवन	25000	77000

नीलामी की शर्तें व नियम निम्न प्रकार से होंगे-

- 01- ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि (माह नवम्बर 2024 से मार्च 2025) हेतु दिनांक 01.11.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक के लिए होगी।
- 02- नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति कैशियर से आवेदन फार्म निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदकगण से यह अपेक्षित है कि वे इच्छित मद की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती के पक्ष में देय होगा, निर्धारित फार्म के साथ संलग्न करते हुए दिनांक 28.10.2024 को सायं 04 बजे तक जमा कर दिनांक 29.10.2024 को सायं 04 बजे नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं।
- 03- न्यायालय परिसर में नशीली व अन्य अवैध वस्तुएं प्लास्टिक, पॉलीथीन धूम्रपान सामग्री अथवा ज्वलनशील पदार्थ नहीं बेची जायेंगी।
- 04- ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थाएं एवं स्टाल संबंधी अस्थायी व्यवस्था स्वयं करेंगे।
- 05- ठेके से संबंधित किसी भी विवाद पर जिला न्यायाधीश महोदय का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
- 06- नीलामी ठेका पक्ष में होने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100 रुपये के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा, उसे इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय-समय पर पारित होने वाले आदेशों का पालन करना होगा।
- 07- ठेकेदार ऐसे दो व्यक्ति को जमानतदार के रूप में नाम पतामय आधार कार्ड साथ प्रस्तुत करेगा, जिससे ठेकेदार द्वारा धनराशि जमा न करने पर धनराशि वसूल की जायेगी।
- 09- प्रत्येक सफल बोलीदाता को ठेके की धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी।

- 10- किसी व्यक्ति के पक्ष में नीलामी एक बार स्वीकार करने के उपरान्त निरस्त नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता नीलामी की प्रथम त्रैमास की किस्त जमा करने के उपरान्त ठेका चला नहीं पाता है तो उसका ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 12- सफल बोलीदाता की धरोहर राशि चतुर्थ त्रैमास की किस्त में समायोजित की जायेगी।
- 13- आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति वाले, पूर्व में ठेके की किस्त न जमा करने वाले व्यक्तियों को जमानतीयों की बोली में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिये ठेके को निरस्त किया जा सकता है।
- 14- प्रत्येक वस्तु की मूल्य-सूची ठेकेदार द्वारा नजारत अनुभाग को उपलब्ध करानी होगी।
- 15- सफल बोलीदाता को ठेका स्वीकृत होने पर जितनी धनराशि का ठेका स्वीकृत हुआ है उतनी ही धनराशि की स्वयं के नाम पर दर्ज चल-अचल सम्पत्ति के दस्तावेज की छायाप्रति नजारत अनुभाग में उपलब्ध करानी होगी।
- 16- खाद्य पदार्थ की वस्तुएं मानक के अनुरूप होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ की जाँच ठेके की अवधि में किसी भी समय कराई जा सकेगी। खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा जिसका समस्त क्षेत्राधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।
- 17- माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 101/ए०ए० दिनांकित 17.09.1952 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार खाद्य पदार्थों के मूल्यों की एक सूची ठेके के स्थान पर चस्पा करेगा एवं उक्त सूची में अंकित खाद्य पदार्थों के मूल्य से अधिक दर पर नहीं बेचेगा।
- 18- माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र संख्या 14 दिनांकित 08.02.1956 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ठेके की नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले अवांछनीय व्यक्ति का ठेका बिना किसी कारण के निरस्त कर सकते हैं एवं उससे कम नीलामी की बोली लगाने वाले उपयुक्त व्यक्ति का ठेका स्वीकार कर सकते हैं।

उक्त ठेका नीलामी के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रकाशन के उपरान्त नीलामी दिवस से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.30 बजे तक के मध्य केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय श्रावस्ती में सम्पर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।


(अमित कुमार प्रजापति)
अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला न्यायाधीश/
जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।